

20/11/25

अधिवक्ता अपीलेंट अनु। अधिवक्ता
अपीलेंट व अपीलेंट को न्यायालय समय
में रुक-रू कर आवाज लगाई गयी।
किन्तु अधिवक्ता लक कोर्ट उफ भरी हुआ
लिहाजा उक्त अपील अदम फेरवी वे
अदम हाजरी में खारिज की जाती हैं पत्रावली
फैसल शुमार लोक नम्बर से कम वे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली